

प्रति,

सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा,
रायपुर ।

विषय:- स्वयं के वाहन से यात्रा भत्ता विषयक ।

महोदय,

निवेदन है कि मेरे गृह निवास से विधायक विश्राम गृह रायपुर तक की लोक निर्माण विभाग से प्रमाणित हस्ताक्षरित मुहर सहित प्राप्त जानकारी संलग्न है । जिसके अनुसार मेरे गृह निवास से रायपुर की सबसे निकटतम सड़क मार्ग की दूरी-----किलोमीटर है ।

मेरे स्वयं के नाम से पंजीकृत वाहन-----क्रमांक-----है जिसके पंजीयन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न है । आवश्यकतानुसार उक्त वाहन से मैं विधान सभा के सत्र एवं समितियों की बैठकों में सम्मिलित होने हेतु आवागमन करूंगा ।

अतः कृपया उक्त वाहन से यात्रा देयक बनाये जाने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें ।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है । प्रस्तुत जानकारी असत्य पाये जाने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी ।

संलग्न-

भवदीय,

हस्ताक्षर

सदस्य,(नाम)

छत्तीसगढ़ विधान सभा

क्षेत्र क्रमांक-----

मोबाईल नं.....

पता:

दिनांक: